

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन  
पीठासीन अधिकारी-श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या- 11/2023

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/152

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
पाण्डूरंग मर्दा पुत्र स्व. श्री बंशीलाल मर्दा जाति महाजन, निवासी रानीगावं तहसील मकरान जिला डीडवाना-कुचामन हाल निवासी 8-जे, अपार्टमेन्ट, 1098/14 मॉडल कॉलोनी पूना (माहाराष्ट्र)।		1. रामनिवास पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी झलामलियां, तहसील मकराना। 2. सचिप ग्राम पंचायत रानीगावं, पंचायत समिति मकराना जिला डीडवाना-कुचामन। 3. सरपंच ग्राम पंचायत रानीगावं, पंचायत समिति मकराना जिला डीडवाना-कुचामन।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत रानीगावं के सरपंच द्वारा रामनिवास पुत्र खुमाराम, जाति जाट निवासी झलामलियां के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का पट्टा संख्या 20 बुक संख्या 94 दिनांक 20.02.2019 के विरुद्ध

उपस्थित:-

1. श्री बलजीत सिंह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र सिंह वकील अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2024

प्रार्थी की ओर से निम्नवत निवेदन है कि:-

यह है कि ग्राम पंचायत रानीगावं की आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड स्वर्गीय बंशीलालजी मर्दा के जरिये वारिस होने के कारण प्रार्थी को प्राप्त हुई है, जिस सम्पत्ति पर प्रार्थी का पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य की सम्पत्ति है जिसका विवरण निम्न है:-


सम्पत्ति का विवरण:-

एक भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 6300 वर्गफीट है जो मौजा रानीगावं के वार्ड संख्या 01 में सदर बाजार में जो उक्त सम्पत्ति मकराना खाटू मुख्य सड़क के पास स्थित है जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार हैं:-

उत्तर में :- ब्राह्मणों की जायदाद व आंगनबाड़ी भवन  
दक्षिण में :- सत्यनारायण व बंकटलाल की जायदाद  
पूर्व में :- मकराना खाटू मुख्य सड़क  
पश्चिम में :- आम रास्ता

उक्त सम्पत्ति पर स्वर्गीय बंशीलाल जी की मृत्यु के बाद प्रार्थी का ही कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है, बंशीलाल जी मर्दा को अपने पुश्तैनी सम्पत्ति के बंटवारा के तत्कालिन समय में हुए विभाजन, ज्ञापन दिनांक 28.02.1969 के जरिये प्राप्त हुई इस प्रकार प्रार्थी के पिता को उक्त सम्पत्ति जरिये विभाजन के ज्ञापन के द्वारा अपने हक व हिस्से में प्राप्त हुई थी और उक्त दिनांक के पश्चात् से ही स्व.



  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन

बंशीलाल जी ने अपने जीवनकाल तक उक्त अपनी इस उपरोक्त सम्पति पर बतौर स्वामित्व अपने आधिपत्य में चले आ रहें थे और बंशीलाल जी के निधन के पश्चात् इस सम्पति की देखरेख एवं आधिपत्य प्रार्थी द्वारा धारिक किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थी का उपरोक्त सम्पति में पुश्तैनी आधार पर स्वामित्व है और प्रार्थी का कब्जा उपरोक्त सम्पति निर्बाध रूप से बिना किसी विघ्न व बाधा के चला आ रहा है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत रानीगावं द्वारा पट्टा संख्या 20 दिनांक 20.02.2019 को रामनिवास पुत्र खूमाराम जाट निवासी झलामलिया ने बनवा लिया जिसका पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय गच्छीपुरा से दिनांक 05.03.2019 को करवा लिया है जिसकी प्रति प्रार्थी निगरानी को प्राप्त होने पर यह निगरानी पेश की जा रही है जिसके आधार निम्नवत है :-

1. यह है कि उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी जायदाद मौजा रानीगावं के आबादी क्षेत्र में स्व. बंशीलाल जी मर्दा के पक्ष में पुश्तैनी बंटवारा सुदा हक व अधिकारों की आई हुई है जिस पर प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व है एवं प्रार्थी के आधिपत्य की है इस जायदाद पर अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है व दखल नहीं रहा है, जिसका रामनिवास पुत्र खूमाराम जाति जाट निवासी झलामलिया वाला ने गलत पट्टा ग्राम पंचायत रानीगावं से जारी करवा लिया है जो उक्त पट्टा प्रारम्भता ही शून्य होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है।
2. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 से पट्टा गलत रूप से बना लिया है। उक्त स्थान पर पट्टा बनाने का अप्रार्थी 01 को कोई हक व अधिकारी नहीं था, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में उपरोक्त जायदाद का बिना किसी मालिकाना हक व अधिकार के अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई हक व अधिकार नहीं था लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने तथ्य छिपाकर उपरोक्त जायदाद का गलत पट्टे का आवेदन किया जो गलत पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी किया गया है वो पट्टा गलत है, निरस्त होने योग्य है।
3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 को उपरोक्त जायदाद का पूर्णतया: मालुमात है, कि यह जायदाद प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों की है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी की जायदाद को हड़प करने के इरादे से प्रार्थी को उक्त जायदाद से महरूम करने के इरादे से उपरोक्त जायदाद का ग्राम पंचायत रानीगावं में पट्टा बनाने का आवेदन पत्र उनको जानकारी होने के बावजूद भी आवेदन किया जो पट्टा भी प्रार्थीगण के जायदाद का अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी करने का अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को कोई कानूनी अधिकार नहीं था उसके बावजूद भी पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बिना किसी पुश्तैनी दस्तावेज के आधार पर जारी दिया जो पट्टा गलत है, जो उपरोक्त पट्टा कानूनन रूप से निरस्त होने योग्य है।
4. यह है कि उपरोक्त प्रार्थी की जायदाद पर अप्रार्थी व अप्रार्थी के सहयोगी विनोदकंवर पत्नि राजपालसिंह, मुकेश चौधरी पुत्र खेमाराम, भवानीसिंह पुत्र रामसिंह ने एक गिरोह बनाकर उपरोक्त प्रार्थी की जायदाद पर कब्जा करने पर उतारू होने लगे जिस पर प्रार्थी ने एक वाद संख्या ...../2019 एवं अस्थाई




जिला कलेक्टर  
झिंडवाना-कुचामन

निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2019 न्यायालय सिविल जज मकराना के समक्ष दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाकर उपरोक्त वर्णित जायदाद पर कमीश्नर नियुक्ति किया जाकर मौके की रिपोर्ट उक्त टी.आई. प्रार्थना पत्र में मंगवाई गई जिसमें अप्रार्थी रामनिवास व अन्य का जवाब भी आया जिस पर पक्षकारों को सुना जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 04/2019 दिनांक 26.02.2019 को निर्णय दिया. एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक कमीश्नररिपोर्ट के मुताबिक मौके के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जिस पर आज भी मौके की यथास्थिति है एवं वाद सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।

5. यह है कि ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 255 से 265 की पालना की जानी है परन्तु उक्त आज्ञापन नियमों की पालना नहीं की गई है इसलिए उक्त पट्टा व पट्टे का प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि किसी भूमि का पट्टा आवेदन करने के बाद आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है जिसकी नियम 269 (2) के अनुसार भूमि के विशिष्ट स्थान पर चस्पा करना चाहिए वास्तव में कोई ऐसा नोटिस गुवाड में चस्पा नहीं किया गया है, उपरोक्त भूमि से संबंधित पट्टा जारी नहीं करने बाबत प्रार्थी द्वारा उपरोक्त जायदाद का बंट अनुसार बंटवारा दिनांक 28.02.1969 के साथ दिनांक 15.06.2017 को एक प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रानीगांव को भी दिया था जिसको भी नजर अन्दाज अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में गलत पट्टा जारी किया जो निरस्त होने योग्य है।
7. यह है कि उपरोक्त जायदाद पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत रानीगांव में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया था जिसका आपत्ति प्रकाशन दिनांक 20.01.2019 को अखबार में आने पर प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी ने आपत्ति अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के कार्यालय में दिनांक 14.01.2019 को प्रस्तुत की थी जिस पर प्रार्थी को कतई नहीं सुना एवं प्रार्थी ने अपनी जायदाद को सुरक्षित करने हेतु सिविल कोर्ट में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी अप्रार्थी द्वारा कोई पट्टे से संबंधित जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं अप्रार्थी को दिनांक 26.02.2020 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने गलत पट्टा, पट्टे में निर्णय से पूर्व दिनांक गलत अंकित करके जारी कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या 01 को मालुम भी हो गया कि उक्त जायदाद पर सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश है उसके बावजूद भी दिनांक 05.03.2019 को प्रार्थी की जायदाद पर गलत रूप से बनाये गये पट्टे का उप पंजीयन कार्यालय गच्छीपुरा से गलत पंजीयन करवा लिया इसलिए उपरोक्त वर्णित कारणों से भी अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बना पट्टा गलत है जो कानूनी रूप से भी पट्टा निरस्त होने योग्य है।
8. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 जो स्वयं ग्राम झलामलिया का निवासी है जिसकी ग्राम पंचायत खारड़िया लगती है प्रार्थी की जायदाद ग्राम रानीगांव में स्थित है



  
जिला कलेक्टर  
झडवाना-कुचामन

जिसकी ग्राम पंचायत रानीगांव लगती है इसलिए झलामलिया गांव के व्यक्ति को ग्राम पंचायत रानीगांव द्वारा पट्टा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। रानीगांव पंचायत का यह दायित्व बनता है कि झलामलिया के व्यक्ति को उसकी पुश्तैनी जायदाद ग्राम रानीगांव में स्थित है तो कानूनी रूप से भी पट्टा जारी नहीं कर सकते हैं फिर भी तथाकथित गलत इकरारनामा गलत दस्तसवेज के आधार पर बिना किसी कानूनी अधिकार के पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी कर दिया है वो पट्टा कानूनी रूप से निरस्त होने योग्य है।

9. यह है कि किसी भूमि का पट्टा आवेदन करने के बाद आपत्ति प्रस्तुत करना आवश्यक होता है उस आपत्ति के आधार पर अगर कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति पर पक्षकार को सुना जाकर आपत्ति का निस्तारण किया जाता है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा न तो प्रार्थी की आपत्ति पर सुना गया एवं ना ही आपत्ति का निस्तारण किया इसलिए भी ग्राम पंचायत रानीगांव द्वारा उपरोक्त जारी किया गया पट्टा निरस्त होने योग्य है।
10. यह है कि उपरोक्त प्रार्थी की जायदाद अभी खुली पड़ी है जिसकी ताईद भी कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा एक साथ एक ही दिवस को तीन पट्टे प्रथम रामनिवास के पक्ष में द्वितीय विनोदकंवर के पक्ष में एवं तृतीय भवानीसिंह व मुकेश चौधरी के पक्ष में दिनांक 20.02.2019 को गलत बिना किसी आधार के बिना किसी कब्जे के गलत पट्टा बना दिया है जो पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होने से निरस्त होने योग्य है।
11. यह है कि प्रार्थी की उपरोक्त जायदाद पर अप्रार्थी व उसके उक्त सहयोगी ने कब्जा करना चाहा जिस पर प्रार्थी ने दावा सिविल कोर्ट में दिनांक 16.01.2019 को पेश कर दिया जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को पूर्णतया: थी, सिविल कोर्ट में उपरोक्त जायदाद का प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद भी उपरोक्त जायदाद का पट्टा गलत बना दिया इस आधार पर भी अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा गलत होने से निरस्त होने योग्य है।
12. यह है कि उपरोक्त जायदाद प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद है जिस पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है उक्त जायदाद हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं था एवं नहीं है फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 ने तथाकथित फर्जी दस्तावेज के आधार पर पट्टा बनाने का आवेदन कर भी लिया तो अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था फिर भी गलत पट्टा जारी कर दिया तो कानूनी रूप से पट्टा निरस्त होने योग्य है।
13. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्रार्थी की उपरोक्त जायदाद का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था पंचायत ने प्रार्थी की आपत्ति दिनांक 15.06.2017 दिनांक 14.01.2019 की आपत्तियों को नजर अन्दाज करके उपरोक्त भूमि का बिना मौका निरक्षण करवाये उपरोक्त भूमि का गलत पट्टा जारी कर दिया जो कानूनन रूप से पट्टा निरस्त होने योग्य है।
14. यह है कि निगरानी हेतु विधि के अन्तर्गत कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है जो सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन था उसमें भी अप्रार्थी द्वारा कोई पट्टा प्रस्तुत



Q  
जिला कलक्टर  
झज्जाना-कुचामन

नहीं किया दिनांक 26.02.2019 को उपरोक्त जायदाद से संबंधित सिविल कोर्ट द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये उसके बाद प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित पट्टा की जानकारी होने पर दिनांक 24.02.2021 को पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उपरोक्त जानकारी के अभाव में व पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अब निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिसे दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

अतः माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रानीगांव द्वारा पट्टा संख्या 20 दिनांक 20.02.2019 रामनिवास पत्र खूमाराम के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 01 की तरफ से वकील श्री नरेन्द्र सिंह ने तथा अप्रार्थी सं० 02 व 03 की तरफ से वकील श्री वसीम अकरम ने वकालतनामा पेश किया।


बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में किये गये कथनों को ही दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रानीगांव द्वारा पट्टा संख्या 20 दिनांक 20.02.2019 रामनिवास पत्र खूमाराम के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त विवादित जायदाद पहले मिश्रीलाल की थी। मिश्रीलाल जी का देहान्त हो चुका है। मिश्रीलाल जी के पुत्र मूलचन्द ने इस जायदाद को बैचान मिश्रीलाल जी के सभी वारिसान की सहमति से विनोद कंवर, रामनिवास, मुकेश चौधरी एवं भवानी सिंह को दिनांक 23.07.2018 को कर कब्जा खरीददारान को सुपुर्द कर दिया था। जिसकी एक लिखित भी 500/- ₹ के स्टॉम्प पर कर दी थी। उक्त बेचाननामा के आधार पर ही उक्त जायदाद के तीन पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये थे। उक्त पट्टे की सम्पूर्ण प्रक्रिया पंचायत राज अधिनियम के तहत नियमानुसार करने के पश्चात ही पट्टे जारी किये गये हैं। चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त जायदाद को प्रथम दृष्टया न तो स्वयं की पैतृक जायदाद साबित कर पाया है एवं न ही पट्टा जारी करने में कोई अवैधता साबित कर पाया है। अतः प्रार्थी की रिविजन खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया। प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत रानीगांव पंचायत समिति मकराना के द्वारा राज० पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी आवासीय भूमि का पट्टा क्रमांक 20 बुक संख्या 94 दिनांक 23.2.2019 को निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज करने की प्रार्थना की। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की पत्रावली एवं पत्रावली में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का भी अवलोकन किया।

प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे के लिए आवेदक श्री रामनिवास पुत्र खूमाराम ने दिनांक 05.08.2018 को ग्राम पंचायत रानीगांव में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 04 में प्रार्थी ने आवेदित भूमि



  
जिला कलक्टर  
झंझाना-बुनाम

पर एक वर्ष से अपना आधिपत्य बताया तथा आधिपत्य किस प्रकार से है, इस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया।

प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा गठित पंचों की आबादी भूमि के निरीक्षण की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में बिन्दु सं0 05अ में मूल्यांकन के संबंध में की गई रिपोर्ट में आवेदन के कब्जे के बिन्दु में कितने वर्ष से कब्जा है, इस बाबत कोई अंकन नहीं किया। पत्रावली में संलग्न बयान श्री देवीलाल व उगमाराम ने एक वर्ष से प्लॉट पर आना जाना बताया है।

ग्राम पंचायत रानीगांव द्वारा संधारित पट्टे की पत्रावली में प्रश्नगत भूखण्ड को आवंटन करने बाबत पत्रावली प्रस्तुत होने का अंकन किया गया है तथा दिनांक 05.02.2016 एवं दिनांक 20.02.2016 द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नियम 157(1) एवं 157(2) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, मौका रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान में प्रार्थी का कब्जा एक वर्ष बताया गया है। आवेदक द्वारा इसे पुश्तेनी बताने का तथ्य यही विरोधाभासी एवं संदिग्ध हो जाता है। आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत आवेदन पत्र में, स्वयं के शपथ पत्र में, पंचायत की प्रारम्भिक कार्यवाही विवरण में भी विक्रय पत्र के आधार पर पट्टा चाहनेबाबत कोई अंकन नहीं है।

ग्राम पंचायत द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में भी आवेदन आपत्ति किस भूखण्ड के लिए आमंत्रित की गई है, पट्टा किन नियमों के तहत जारी किया जाना है कोई अंकन नहीं किया गया, न ही सार्वजनिक आपत्ति में पट्टा किस नियम के आधार पर जारी किया जाना है, पुराने गृह का नियमन किया जाना है अथवा बिक्री के माध्यम से आवंटन किया जाना है का अंकन नहीं है।

पट्टे के संबंध में रेस्पोंडेन्ट मुख्य रूप से इकरार बेचाननामा जो कि दिनांक 23.07.2018 को श्री मूलचन्द पुत्र मिश्रीलाल मर्दा द्वारा रेस्पोंडेन्ट विनोद कंवर, रामनिवास गर्वा, मुकेश चौधरी एवं भवानी सिंह पुत्र रामसिंह को 3840 वर्ग फुट का विक्रय करना बताया गया है। यह ईकरारनामा पंजीकृत नहीं है उक्त ईकरारनामे में एक भूखण्ड का विक्रय ईकरार 04 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से करने का उल्लेख किया गया। इकरारनामों में अंकित भूमि पर मूलचन्द का स्वामित्व किस प्रकार से है। मूलचन्द का कब्जा निर्बाध रूप से है, इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मूलचन्द का कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में प्रश्नगत भूखण्ड को मूलचन्द की पैतृक सम्पत्ति बताया गया है। जिसे विक्रय करने बाबत इनके द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों के सहमति लेना भी अंकित किया है। परन्तु पत्रावली में उक्त भूखण्ड के मिश्रीलाल से मूलचन्द को प्राप्त होना, मूलचन्द द्वारा अन्य विधिक उत्तराधिकारियों से सहमति प्राप्त करने से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।



जिला कलक्टर  
जहाना-कुचामन

रेस्पोंडेंट द्वारा ग्राम पंचायत रानीगांव को प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में एवं आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र में भी प्रश्नगत भूखण्ड को विक्रय इकरार करने का कोई हवाला नहीं दिया।

राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) में जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक हैं उन्हें उक्त नियमों के उप नियम के तहत निर्धारित राशि लेकर पट्टा जारी किये जाने के प्रावधान हैं।


उप नियमों के तहत भी अधिकतम 300 वर्ग गज भूमि का नियमन किये जाने के प्रावधान हैं। जिस विक्रय इकरार के आधार पर भूखण्ड का क्रय करना संयुक्त रूप से बताया गया है उसका क्षेत्रफल 3824 वर्ग फीट है जो कि 300 वर्ग गज से अधिक का होता है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के इसे पृथक-पृथक भूखण्डों में बांट दिया गया। नियम 157(1) के तहत निर्मित पुराने गृहों एवं उनके साथ काम में आ रही निर्धारित सीमा से अधिक के पट्टे जारी करने का प्रावधान है, प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र, मौका रिपोर्ट, गवाहों के बयान समस्त दस्तावेजों में किसी पुराने गृह होने का न तो कोई अंकन है न ही कोई दस्तावेज संलग्न है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत द्वारा धारा 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व प्रावधानों की पालना नहीं की गई। रेस्पोंडेंट का आरोपित भूमि पर न तो कोई पुराना गृह बना हुआ है और न ही लम्बे समय से कब्जा प्रमाणित है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रामनिवास को जारी पट्टा संख्या 20 बुक संख्या 94 दिनांक 23.02.2019 राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) में विहित प्रावधानों के विपरीत होने एवं विहित प्रक्रिया की पालना नहीं करने के कारण खारिज योग्य है।

अतः रिविजन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रानीगांव द्वारा रामनिवास को जारी पट्टा संख्या 20 बुक संख्या 94 दिनांक 23.02.2019 को खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 30.04.2024 को सुनाया गया।



  
(बाल मुकुन्द असावा, IAS )  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना-कुचामन  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन